सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

आषाढ़ 9, गुरूवार, शाके 1944-जून 30, 2022
Asadha 9, Thursday , Saka 1944- June 30, 2022

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द

आदेश

राजसमंद जून 24, 2022

फाइल नंबर : प.12/17( )राजस्व/भू.अ./2018 :-केन्द्रीय संरक्षित स्मारक कुम्भलगढ़ दुर्ग पर पर्यटकों की सुविधायें सार्वजनिक हित में विकसित करने हेतु ग्राम किला कुम्भलगढ़ के 25 खसरा नम्बरों में निहित 11 बीघा 05 बिस्वा भू-अवाप्ति के लिए भारत सरकार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जोधपुर मण्डल, जोधपुर के अनुरोध पर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंध 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु आठ सदस्यीय समिति के गठन हेतु आदेश जारी किए गए, जिसकी अधिसूचना संख्या प.12/17( )राजस्व/भू.अ./2018 राजस्थान राजपत्र के विशेषांक में दिनांक 06.03.19 को प्रकाशित हुई।

समिति द्वारा बैठक, डोर-टू-डोर सर्वे, जन सुनवाई तथा हितधारको से परामर्श आदि कार्यवाहियों के उपरांत, पूर्वकथित अधिनियम, 2013 तथा संबद्ध नियम, 2016 के प्रावधानानुसार सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट निर्धारित समयावधि में तैयार करके दिनांक 03.12.19 को अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट सार्वजनिक कर जन सामान्य को उपलब्ध कराई गई और सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन प्रतिवेदन को दिनांक 26.12.19 को पुनरीक्षित करके अंतिम रूप दिया गया। पुनरीक्षित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट का स्वतंत्र बहु-विषयक विशेषज्ञ समूह द्वारा दिनांक 20.08.20 को मूल्यांकन किया गया तथा उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़ द्वारा पत्र क्रमांक राजस्व/2020/262-264 दिनांक 20.08.20 के माध्यम से विशेषज्ञ समूह की अनुशंषा रिपोर्ट प्राप्त हुई।

पूर्वकथित अधिनियम की धारा 14 के अनुसार जहाँ धारा 7 के अधीन विशेषज्ञ समूह द्वारा सामाजिक समाघात आंकलन के अंतिम प्रतिवेदन पर प्रस्तुत मूल्यांकन प्रतिवेदन की तिथि से बारह महीनो के भीतर धारा 11 के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना निर्गत नहीं की जाती है, तब मूल्यांकन रिपोर्ट को व्यपगत को समझा जाएगा और धारा 11 के आधीन अर्जन की कार्यवाहियां करने से पूर्व नए सिरे से सामाजिक समाघात निर्धारण कार्य किया जाना आपेक्षित होगा परन्तु यह भी प्रावधानित है कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी।

विशेषज्ञ समूह द्वारा सामाजिक प्रभाव अध्ययन के मूल्यांकन की तिथि दिनांक 20.08.20 से बारह माह दिनांक 19.08.21 तक के भीतर धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन अपेक्षित था, परन्तु कोराना कोविड-19, प्रोटोकॉल एवं गाइडलाइन पालना आदि कारणों से धारा 11 में प्रावधित प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जा सकी।

एतद् द्वारा संदर्भित अधिनियम की धारा 14 के प्रावधानानुसार तथा सक्षम स्तर से प्राप्त अनुमोदन के अनुसरण में सामाजिक प्रभाव अध्ययन तथा संबद्ध मूल्यांकन प्रतिवेदन की वैधता उपरोक्त वर्णित कारणों से बारह महीने की समयावधि दिनांक 19.08.22 तक के लिए बढ़ाई जाती है।

नीलाभ सक्सेना,
जिला कलक्टर,
राजसमन्द।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।